



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत याचिका संख्या - 44911 सन् 2025

नौमान

....याचीकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी

याचीकाकर्ता के अधिवक्ता	:-	ए.जेड. खान
प्रत्यर्थी के अधिवक्ता	:-	जी.ए.

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति अशुतोष श्रीवास्तव

श्री ए.जेड. खान, याचीकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, श्री अरिमर्दन यादव, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा मामले के अभिलेख का परिशीलन किया गया।

वर्तमान जमानत आवेदन बीएनएसएस की धारा 483 के अंतर्गत याचीकाकर्ता नौमान की ओर से इस प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है कि उसे मामला अपराध संख्या 206 सन् 2025, नारकोटिक ड्रग्स एवं साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज अधिनियम, 1985 की धारा 8/21/29 के अंतर्गत, थाना - मिर्जापुर, जिला - सहारनपुर में जमानत पर रिहा किया जाए।

याचीकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि 16.3 ग्राम स्मैक सह-अभियुक्त के कब्जे से बरामद होना कथित है। याचीकाकर्ता से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। याचीकाकर्ता का नाम सह-अभियुक्त के बयान में इस आरोप के साथ उभरा है कि याचीकाकर्ता सह-अभियुक्त से स्मैक खरीद रहा था। वास्तव में याचीकाकर्ता से कोई बरामदगी नहीं की गई। यह भी तर्क दिया गया कि याचीकाकर्ता पूर्णतः निर्दोष है और उसे अनावश्यक उत्पीड़न एवं परेशान करने की नीयत से वर्तमान अपराध में झूठा फंसाया गया है। याचीकाकर्ता, जो 15.11.2025 से जेल में है, उसका दो मामलों का आपराधिक इतिहास है जिसे भली-भाँति स्पष्ट किया गया है, वह जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है। यदि याचीकाकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने याचीकाकर्ता की जमानत प्रार्थना का यह कहते हुए विरोध किया कि याचीकाकर्ता, जो प्रतिबंधित पदार्थ की आपूर्ति में संलिप्त है, उसकी निर्दोषता का निर्धारण विचारण-पूर्व अवस्था में नहीं किया जा सकता, अतः याचीकाकर्ता किसी भी प्रकार की रियायत का पात्र नहीं है। यदि याचीकाकर्ता को जमानत पर रिहा किया गया तो वह पुनः इसी प्रकार की गतिविधि में संलिप्त हो जाएगा।

मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक आदेश, आरोपों की प्रकृति, उनके समर्थन में साक्ष्य की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में होने वाले दंड की गंभीरता, अभियुक्त-याचीकाकर्ता का चरित्र, उसकी विशिष्ट परिस्थितियाँ, विचारण में अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने की उचित संभावना, गवाहों के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका, जनता/राज्य का व्यापक हित तथा अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, किंतु मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, जमानत का मामला बनता है।

तदनुसार, जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

याचीकाकर्ता - **नौमान**, जो उपरोक्त मामला अपराध में संलिप्त है, को निम्नलिखित शर्तों के साथ संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत मुचलका तथा उतनी ही राशि में दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए:-

1. याचीकाकर्ता जाँच या विचारण के दौरान गवाहों को डरा-धमकाकर अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. याचीकाकर्ता बिना किसी स्थगन की माँग किए विचारण में ईमानदारी से सहयोग करेगा।
3. याचीकाकर्ता जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि या किसी भी अपराध के कारित करने में संलिप्त नहीं होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्त करने का आधार होगा।
मुचलके स्वीकार किए जाने से पूर्व याचीकाकर्ता तथा जमानतदारों की पहचान, हैसियत एवं निवास प्रमाण की जाँच संबंधित न्यायालय द्वारा की जाए।

(आशुतोष श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति)

8 जनवरी, 2026

दीपक/

Translated Version, Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।